भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3700**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
टी बोर्ड कैंटीन में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम

3700. श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री बलभद्र माझी:
क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी बोर्ड देश के विभिन्न सरकारी संस्थाओं/ प्रतिष्ठानों में टी बुफे और सेवा काउंटर कैंटीन का संचालन कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारदर्शिता और उपस्थिति की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को बायोमेट्रिक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित किसी डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो अपनाई जा रही डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का ब्यौरा क्या है तथा टी बोर्ड द्वारा संचालित ऐसी टी बुफे और सेवा काउंटर कैंटीनों की संख्या कितनी है जहाँ इस तरह की प्रणालियाँ लागू की गई हैं;

(घ) क्या विभिन्न सरकारी संस्थानों के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी टी बोर्डों में समान डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया, नियमों और निगरानी तंत्र का एकरूपता से पालन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या विभिन्न संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली उपस्थिति प्रथाओं में भिन्नताएं हैं और यदि हाँ, तो ऐसे अंतरों के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सभी टी बोर्ड संचालित कैंटीनों में एक समान डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं में इसके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) टी बोर्ड विभिन्न सरकारी संस्थानों/प्रतिष्ठानों में टी बुफे और सर्विस काउंटर कैंटीनों का प्रचालन कर रहा है। इनमें संसद भवन परिसर, मंत्रिमंडल सचिवालय, वाणिज्य भवन, विदेश मंत्रालय, सरकारी पूल कार्यालय आवास और नीति आयोग, तिरुमाला में 'टी नुक' और चेन्नई में टी बोर्ड कार्यालय शामिल हैं। उपरोक्त सभी कार्यालयों में उपस्थिति की निगरानी के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपलब्ध है। टी बोर्ड उपर्युक्त सभी कार्यालयों में उपस्थिति प्रणाली को समान रूप से लागू करता है। केन्द्रीय सरकार भी इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश/आदेश जारी करती है।
